अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग पर प्रधान मंत्री का स्वतः वक्तव्य

दिनांक 27 फरवरी, 2006
नई दिल्ली

अध्यक्ष महोदय,

मैं नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग पर अमेरिका के साथ हुई चर्चाओं की स्थिति के बारे में इस सम्मानित सदन को अवगत कराने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके व्यापक पहलुओं का दिनांक 18 जुलाई, 2005 के उस संयुक्त वक्तव्य में उल्लेख किया गया है जिस पर पिछले साल वाशिंगटन डीसी के मेरे दौरे के समय अमेरिकी राष्ट्रपति श्री जॉर्ज बुश और मैंने सहमति जताई थी। मैं चल रही बातचीत की स्थिति के बारे में विस्तार में बताने से पहले, इस अवसर पर संयुक्त वक्तव्य के संदर्भ और मुख्य बातों का उल्लेख करना चाहूंगा।

माननीय सदस्यों को मालूम है कि नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने का हमारा प्रयास हमारे समक्ष ऊर्जा की बढ़ती हुई कमी को पूरा करने की जरूरत पर आधारित था। चूंकि भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की अपनी वार्षिक वृद्धि दर को वर्तमान 7-8% से बढ़ाकर 10% से अधिक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ऊर्जा की और ज्यादा कमी होगी। इससे न केवल विकास अवरुद्ध हो सकता है बल्कि तेल और प्राकृतिक गैस आयात करने की लागत बढ़ने से अतिरिक्त भार भी पड़ सकता है वह भी उस स्थिति में जब हाइड्रोकार्बन की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। यद्यपि हमारे पास कोयले के पर्याप्त भंडार हैं, फिर भी कोयले पर आधारित ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भर रहने से हमारे पर्यावरण के लिए इसके खतरे बढ़ेंगे। परमाणु प्रौद्योगिकी हमारी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्युत का एक प्रचुर और प्रदूषण रहित स्रोत उपलब्ध कराती है। किन्तु, हमारी ऊर्जा जरूरतों के विभिन्न स्रोतों में परमाणु विद्युत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हमें उन परिसीमाओं को तोड़ने की जरूरत है जो प्राकृतिक यूरेनियम के अपर्याप्त भंडारों तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण पैदा हुई हैं जिनकी वजह से हमारा परमाणु कार्यक्रम तीन दशकों से अधिक समय से बाधित रहा है।

हमारा परमाणु कार्यक्रम सचमुच अद्वितीय है जिसका सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था और जो डॉ. होमी भाभा जैसे वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता के कारण साकार हुआ। इसकी अद्वितीयता इस व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है किः भारत अपने विशाल थोरियम संसाधनों का इस्तेमाल करके एक त्रि-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम बनाएगा, और पूर्ण परमाणु ईंधन चक्र की अधिक जटिल प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता हासिल करेगा। इसके परिणास्वरूप, हमारे नागरिक और स्ट्रेटजिक कार्यक्रम परमाणु ईंधन चक्र के विस्तार के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं। शायद ही कोई ऐसा दूसरा देश होगा जो इस तरह की स्थिति में हो। वर्षों से हमारे परमाणु कार्यक्रम में आई परिपक्वता जिसमें विश्व-स्तरीय थर्मल पॉवर रिएक्टर्स का विकास भी शामिल है, से कुछ बदलावों पर विचार करना संभव हुआ है। इन पर तभी विचार किया जा सकता है जब इनसे लाभ मिलें जैसे अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से बिना किसी रुकावट के परमाणु सामग्री, उपकरण, प्रौद्योगिकी तथा ईंधन सुलभ होना।

किन्तु, परमाणु सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मुख्यतः न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एन.एस.जी.) जो 45 देशों का एक अनौपचारिक समूह है, द्वारा निर्धारित होता है। इसके सदस्यों में अमेरिका, रुस, फ्रांस तथा ब्रिटेन शामिल हैं। भारत को इस

अनौपचारिक व्यवस्था से दूर रखा गया है इसलिए यह परमाणु सामग्री, उपकरण और विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियों में व्यापार करने की पहुंच से वंचित है।

इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए हमने अमेरिका से भारत के साथ पूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग करने के लिए बातचीत का प्रस्ताव किया। पिछली जुलाई में वाशिंगटन में जिन बातों पर सहमति हुई थी, उनका सार यह है कि ऊर्जा की हमारी बढ़ती हुई जरूरतों के बारे में हमारे बीच आपसी समझ-बूझ विकसित हुई। हमारे संबंधों में आए सुधार को देखते हुए अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग करने हेतु अपनी ओर से अनेक कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई। इनमें घरेलू नीतियों को समायोजित करना, और संगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं को समंजित करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कार्य करना शामिल है। इसके अलावा, तारापुर स्थित पहले दो परमाणु विद्युत रिएक्टरों के लिए संभावित ईंधन आपूर्ति करने का भी सकारात्मक उल्लेख किया गया था। अमेरिका ने इंटरनेशनल थर्मो-न्युक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रोजेक्ट तथा जेनरेशन IV इंटरनेशनल फोरम में भारत को एक पूर्ण भागीदार के रूप में शामिल करने के समर्थन का भी संकेत दिया।

किन्तु, अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त व्यक्तव्य में अमेरिका ने भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम की मौजूदगी को निर्विवाद स्वीकार किया। इस बात को भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया कि उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों वाले एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत को ऐसे दूसरे राष्ट्रों की तरह ही लाभ हासिल होने चाहिए जिनके पास आधुनिक परमाणु प्रौद्योगिकी है जैसा कि अमेरिका। संयुक्त वक्तव्य में दशकों पुराने प्रतिबंधों को हटाने की संभावना को भी व्यक्त किया गया ताकि भारत के एक नई परमाणु विश्व व्यवस्था के पूर्ण सदस्य के रूप में उभरने के लिए स्थान बनाया जा सके।

जैसा कि माननीय सदस्यों को पिछले वर्ष 29 जुलाई को दिया गया मेरा स्वतः वक्तव्य याद होगा, हमने अपनी ओर से नागरिक और स्ट्रेटजिक कार्यक्रम को अलग-अलग करने की प्रतिबद्धता जताई थी। किन्तु यह प्रतिबद्धता सशर्त और परस्पर आदान-प्रदान के आधार पर थी और इस पर तभी अमल होगा जब अमेरिका समझौते के अपने पक्ष को पूरा करेगा। मैंने इस बात पर जोर दिया था कि परस्पर आदान-प्रदान महत्वपूर्ण है और हमने उम्मीद जताई थी कि भारत द्वारा उठाये जाने वाले कदम सशर्त होंगे और अमेरिका द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करेंगे। तब मैंने इसी बात पर बल दिया था—और आज भी उसी बात को दोहरा रहा हूं—कि इस प्रक्रिया के किसी भी हिस्से का हमारे स्ट्रेटजिक कार्यक्रम पर न तो कोई प्रभाव पड़ेगा और न ही इससे कोई समझौता किया जाएगा।

पिछले कुछ महीनों में जो बातचीत हुई हैं, अब मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। यद्यपि ये बातचीत प्रमुख रूप से अमेरिका के साथ हुई हैं, फिर भी रूस, ब्रिटेन तथा फ्रांस जैसे अन्य देशों के साथ भी चर्चाएं की गई हैं। राजनीतिक स्तर पर, मैंने फ्रांस के राष्ट्रपति श्री शिराक, रूस के राष्ट्रपति श्री पुतिन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री टोनी ब्लेयर के साथ सम्पर्क बनाए रखा है। मैंने इस विषय को नार्वे, कोरिया गणराज्य, नीदरलैंड, चेक गणराज्य और आयरलैंड, जो सभी एन.एस.जी. के सदस्य हैं, के राष्ट्राध्यक्षों/ शासनाध्यक्षों के साथ भी उठाया है। मैं पिछले सितम्बर में न्यूयार्क में राष्ट्रपति श्री जॉर्ज बुश से भी मिला था और 18 जुलाई के वक्तव्य के कार्यान्वयन पर उनसे चर्चा की। उसी अवधि के दौरान अमेरिकी कांग्रेस के कई नेतागण और नीति-निर्माता पिछले कुछ महीनों में भारत का दौरा कर चुके हैं और उनमें से कई मुझसे भी मिले। हमने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए पूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग लेने के उद्देश्य को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है और परमाणु अप्रसार में भारत की विश्वसनीयता का उन्हें पुनः आश्वासन दिया है।

सरकारी स्तर पर हमने दो समूह गठित किए हैं जिनमें स्ट्रेटजिक और परमाणु मामलों से जुड़े प्रमुख अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनमें परमाणु ऊर्जा विभाग, विदेश मंत्रालय, सशस्त्र बल और मेरा कार्यालय सम्मिलित हैं। इन दोनों समूहों में से एक को स्वीकार्य पृथक्करण योजना तैयार करने, और दूसरे को इस आधार पर बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन दोनों समूहों को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिए गए थे कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ पूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग हेतु अवसर बढ़ाने का प्रयास करते समय हमारे स्ट्रेटजिक परमाणु कार्यक्रम के साथ किसी भी तरह से समझौता न किया जाए। हमारे अधिकारियों द्वारा व्यापक और लम्बी बातचीत की जाती रही है। इनमें चार महत्वपूर्ण घटकों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है अर्थात, पृथक्करण योजना की व्यापक रूपरेखा; उन सुविधाओं की सूची जिन्हें हम नागरिक उपयोग के रूप में स्पष्ट कर रहे हैं; उन निगरानियों का स्वरूप जो नागरिक क्षेत्र में सूचीबद्ध सुविधाओं पर लागू होंगे; और अमेरिका के घरेलू कानूनों और एन.एस.जी.के दिशानिर्देशों में प्रत्याशित परिवर्तनों का स्वरूप और गुंजाइश जिनसे भारत के साथ पूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग हो सके।

माननीय सदस्य इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि पृथक्करण योजना की रूपरेखा पर निर्णय लेते हुए हमने अपने परमाणु सिद्धांत के अनुरूप सभी संगत कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात अपनी मौजूदा और भावी स्ट्रेटजिक जरूरतों और कार्यक्रमों का ध्यान रखा है। हम उन चंद देशों में से एक हैं जो "परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल न करने" के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। हमारे सिद्धांत में पहले परमाणु हमला करने वाले दुश्मन पर भारी क्षति पहुंचाने हेतु एक विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु निरोधक क्षमता हासिल करने की परिकल्पना की गई है। इसके लिए सुविधाएं और हमारे स्ट्रेटजिक लचीलेपन के संबंध में अपेक्षित आश्वासन, पृथक्करण योजना तैयार करने में हमारे मानदंड रहे हैं। परमाणु खतरे से अपनी भावी पीढ़ियों को बचाना हमारा परम दायित्व है और हम अपने इस दायित्व का पालन करते रहेंगे। इसलिए माननीय सदस्य आश्वस्त हो सकते हैं कि एक पृथक्करण योजना तैयार करते समय हमने अपनी मौजूदा अथवा भावी क्षमताओं को देखते हुए अपने परमाणु सिद्धांत की अखंडता को अक्षुण्ण रखा है।

जिस पृथक्करण योजना का उल्लेख किया जा रहा है वह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं के अनुकूल है, बल्कि यह हमारे महत्वपूर्ण अनुसंधान तथा विकास संबंधी हितों का भी बचाव करती है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारा त्रि-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम बाहरी हस्तक्षेप से कमजोर या बाधित नहीं होगा। हम केवल उन्हीं सुविधाओं को निगरानी में रखना चाहेंगे जिन्हें हमारी निरोधक क्षमताओं को नुकसान पहुंचाए बगैर अथवा हमारे अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों को प्रतिबंधित किए बिना अथवा किसी भी तरह से हमारे त्रि-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम के विकास की हमारी स्वायत्तता से समझौता किए बिना नागरिक उपयोग के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में परमाणु ऊर्जा विभाग को हर स्तर पर शामिल किया गया है और उनकी ही सूचना के आधार पर पृथक्करण योजना तैयार की गई है।

अतः हमारी प्रस्तावित पृथक्करण योजना में हमारे चुनिंदा ताप परमाणु रिएक्टरों को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी के तहत रखने के लिए चरणबद्ध तरीके से नागरिक उपयोग के रूप में निर्दिष्ट किया जाना है। इन चुनिंदा रिएक्टरों की क्षमता कुल स्थापित ताप परमाणु ऊर्जा का लगभग 65 होगी और ये रिएक्टर पृथक्करण योजना के पूरा होने तक नागरिक उपयोग के लिए पूरी तरह निर्दिष्ट किए जायेंगे। परमाणु ऊर्जा विभाग की कुछ अन्य सुविधाओं की एक सूची को नागरिक क्षेत्र के तहत सुविधाओं की सूची में जोड़ा जा सकता है। पृथक्करण योजना से एक स्पष्ट रूप से परिभाषित नागरिक क्षेत्र का सृजन होगा जहां अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा

एजेंसी की निगरानी लागू हो। जहाँ तक हमारा संबंध है, हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम नागरिक क्षेत्र के लिए अभिप्रेत किसी भी परमाणु सामग्री को निर्दिष्ट नागरिक इस्तेमाल से कहीं और नहीं जाने देंगे अथवा किन्हीं तीसरे देशों को सुरक्षा निगरानी के बिना निर्यात नहीं होने देंगे।

अध्यक्ष महोदय,

इस संबंध में बातचीत फिलहाल एक महत्वपूर्ण दौर में हैं। हमने अपने वार्ताकारों के साथ अपनी बातचीत में अमेरिकी पक्ष द्वारा रखे गए हर प्रस्ताव को गुण-दोष के आधार पर आंका है लेकिन हम इस बात को लेकर दृढ़ हैं कि किन सुविधाओं को नागरिक उपयोग की श्रेणी में रखा जाए। इस बात का निर्णय केवल भारत द्वारा लिया जाएगा, अन्य किसी के द्वारा नहीं।

इसके साथ ही, हम इन वार्ताओं में आने वाली कठिनाईयों को भी कम करके नहीं आंक रहे हैं। इनमें कई जटिल मुद्दे शामिल हैं। परमाणु कार्यक्रम के कई पहलू जन-चर्चाओं में भिन्न-भिन्न व्याख्याओं के लिए सहायक हो सकते हैं जैसे कि फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम अथवा हमारी फ्यूल साइकल क्षमताएं जैसे री-प्रोसेसिंग तथा एनरिचमेंट संबंधी जरूरतें। उन स्ट्रेटजिक सुविधाओं का स्वरूप और श्रेणी जिन्हें हम निगरानी से बाहर रखना जरूरी समझते हैं, एक अन्य उदाहरण है। तथापि, हमने अपने वार्ताकारों को यह अवगत करा दिया है कि पृथक्करण योजना पर चर्चा करते समय, हम अपनी स्ट्रेटजिक जरूरतों के स्वरूप और विषय-वस्तु के ब्यौरे का जिक्र नहीं करेंगे। बातचीत की प्रक्रिया में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी।

यहां यह याद करना जरूरी है कि 18 जुलाई का वक्तव्य हमारे स्ट्रेटजिक कार्यक्रम के बारे में नहीं था। वह हमारी नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षमताओं के विस्तार के लिए था और इसके द्वारा तीव्र आर्थिक प्रगति के लिए मार्ग तैयार करने में मदद करने के लिए था। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए धैर्य की जरूरत है ताकि इस बारे में फैली बहुत सी गलत धारणाओं को दूर किया सके। मैं इस बात को दोहराता हूं कि परमाणु अप्रसार के संबंध में भारत का रिकार्ड अनुकरणीय रहा है और यह आगे भी बना रहेगा। कुल-मिलाकर, अब तक की एक बड़ी उपलब्धि यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन को अब समझा जाने लगा है। हमारा मानना है कि संयुक्त वक्तव्य में उल्लिखित जिन-जिन बातों पर सहमति हुई है जब वे कार्यान्वित हो जाएंगी तो भारत को विश्व परमाणु व्यवस्था में इसका यथोचित स्थान मिल जाएगा। हमारे सामरिक महत्व के कार्यक्रम की मौजूदगी को स्वीकार किया जा रहा है, यहां तक कि हमें अंतरराष्ट्रीय नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग में एक पूर्ण भागीदार बनने के लिए भी आमंत्रित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय,

मैं इस बात का उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा कि हमारे परमाणु वैज्ञानिकों ने पूर्ण परमाणु ऊर्जा चक्र के सभी मुख्य पहलुओं के संबंध में महारत हासिल करने, जिसके लिए उन्हें अक्सर कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है, में जो उल्लेखनीय काम किया है, उसके लिए हमारे देश को उनपर और परमाणु ऊर्जा विभाग पर बहुत गर्व है। संपूर्ण परमाणु ऊर्जा चक्र- जो उनकी प्रतिभा और मेहनत का परिणाम है - में महारत हासिल करने में हमारे वैज्ञानिकों की जबरदस्त उपलब्धियों को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के रास्ते में कोई बाधा न आए। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम अपने स्वदेशी फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम के संबंध में निगरानी स्वीकार नहीं कर सकते। हमारे वैज्ञानिक आश्वस्त हैं कि यह प्रौद्योगिकी परिपक्व हो जाएगी और यह कार्यक्रम स्थायी हो जाएगा तथा यह अतिरिक्त क्षमता के सृजन से और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इससे इस क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए और अधिक अवसर पैदा होंगे। अमेरिका और उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियां रखने वाले अन्य

देशों का भारत के साथ एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में जुड़ने के पीछे एक अहम कारण यह है क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने विश्वभर में अत्यधिक सम्मान और प्रशंसा हासिल की है, और वे अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में अत्याधुनिक परमाणु कार्यक्रम की रेंज और क्वालिटी का सृजन करने में कामयाब रहे हैं। इससे हमारे अंदर एक बराबर के भागीदार के रूप में इन बातचीतों में शामिल होने का विश्वास पैदा हुआ है।

जैसा कि मैंने कहा है, प्रस्तावित पृथक्करण योजना के कई पहलुओं पर इस समय बातचीत चल रही है। यह सच है कि 18 जुलाई के वक्तव्य के कुछेक आश्वासन अभी पूरे किए जाने बाकी हैं - जैसे तारापुर I और II के लिए आयातित ईंधन की आपूर्ति। कुछ घटक कार्यरूप ले चुके हैं, जैसे आई.टी.ई.आर. कार्यक्रम में भारत की भागीदारी के लिए अमरीकी समर्थन। निर्दिष्ट नागरिक सुविधाओं पर लागू होने वाली निगरानी के स्वरूप के मुद्दे का भी अभी समाधान होना बाकी है। मैं सदन से चाहूंगा कि इस समय इन बातचीतों के संबंध में हरेक जानकारी न मांगी जाए। तथापि, मैं इस सम्मानित सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे परमाणु कार्यक्रम की स्वायत्तता से जुड़े मुद्दे के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारी सीमाएं निर्धारित करती है। हमारी सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे इनमें से किसी पर भी कोई आंच आए।

मुझे इस बात की जानकारी है कि ऐसी चिंताएं व्यक्त की गई हैं कि बाहर वालों को तो ज्यादा जानकारी दी जा रही है लेकिन अपने नागरिकों को कुछ नहीं बताया जा रहा है। माननीय सदस्य इस बात से आश्वस्त रह सकते हैं कि हमने किसी को भी ऐसी जानकारी नहीं दी है जिससे हमारी परमाणु निरोधक क्षमता को क्षति पहुंचे। इस संबंध में चिंता या संदेह का कोई कारण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय,

जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, हमारा दृष्टिकोण हमारी ऊर्जा संबंधी कमी को पूरा करने के लिए हमारे सम्मुख उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने पर आधारित है। हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने की जरूरत को भी समझते हैं क्योंकि इनके हटने से हमारी वैज्ञानिक प्रतिभा बढ़ सकेगी और परमाणु तथा संबंधित क्षेत्रों में वाणिज्यिक क्षमताओं में वृद्धि होगी। इस सम्मानित सदन के माध्यम से देश को जानकारी दी जाएगी।

धन्यवाद।

******